वहस बादी श्रवण की गई। वहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.1.25 को पेश हो।

10.1.25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप.। वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य हो से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. पत्र. किया गया। निर्णय को खुलास पढ़कर सुनाया गया।

पत्रावली नकमीली न. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 226/2020

तारीख दायरा 15.12.2020

उनवान

मुलकुन निशा पत्नी यासीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. अब्दुल हफीज पुत्र रहमत खां जाति मुसलमान,
2. जफर अली पुत्र रहमत खां जाति मुसलमान,
3. मेहमूद अली पुत्र रहमत खां जाति मुसलमान,
4. शाकिर अली पुत्र रहमत खां जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री अशोक जैन (वकील वादी) दिनांक :– 10/01/2025

श्री सरकार पैरोकार (प्रतिवादी सं.5)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम नाहरिया पटवार क्षेत्र नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा मे विभिन्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों के साथ साथ खसरा सं. 45 की 0.36 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि के साबिक खसरा न0 550/15 रकबा 2.बीघा 5 बिस्वा रहे है, उक्त कृषि भूमि वादीनी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, जिसमे वादीनी अपने परिवारजन की मदद से काश्त करती

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण से पूर्व राजस्व रेकार्ड में उनके पिता रहमत खां पुत्र मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी नाहरिया के नाम से दर्ज रही है, जिन्होंने उक्त साबिक खसरा न0 550/15 की 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.12.1997 के द्वारा वादीनी को विक्रय कर मौके पर जाकर कब्जा संभला दिया था, तब से ही वादीनी उक्त कृषि भूमि में शांति पूर्वक कब्जे काश्त में है। वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि में वादीनी का शांति पूर्वक आधिपत्य है।

वादीनी ने आगे कथन किया कि उक्त कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.12.1997 से खरीद करने के बाद उक्त खरीदशुदा भूमि में नामान्तरण दर्ज करने के लिए वादीनी के पति श्री यासीन खां ने उक्त विक्रय विलेख की फोटो प्रति तत्कालीन हलका पटवारी नाहरिया को दे दी थी तथा उन्होने उक्त कृषि भूमि में नामान्तरण दर्ज किये जाने का आश्वासन देकर कहा था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, उक्त कृषि भूमि आपके नाम पर दर्ज हो जावेगी। वादीनी ने उक्त कृषि भूमि में ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुती से पूर्व उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित खाते की नकल निकलवाई तो उसकी जानकारी में आया कि उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मं वादीनी का नाम दर्ज नहीं किया गया, अपितु उक्त कृषि भूमि अभी भी विक्रेता तत्कालीन खातेदार रहमत खां पुत्र मोहम्मद खां के पुत्रों प्रतिवादी न0 1 ता 4 के नाम से दर्ज रेकार्ड है। जिसके बारे में सम्बन्धित हलका पटवारी से पूछने पर उन्होने बताया कि उक्त कृषि भूमि वादीनी के नाम दर्ज होने की उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही वर्तमान में उक्त विक्रय विलेख के आधार पर उक्त कृषि भूमि वादीनी के नाम दर्ज हो सकती है क्योकि उक्त विक्रय विलेख मं उक्त विक्रीत कृषि भूमि के साबिक नम्बर 550/15 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा दर्ज हो रहे है, जबकि हाल ही में हुए सेटलमेन्ट के उपरानत राजस्व रेकार्ड मे उक्त कृषि भूमि के नये नम्बर 45 रकबा 0.36 हेक्टर दर्ज कर दिये है, जिसके आधार पर इन्तकाल खोला जाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं उन्होने यह भी कहा कि उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में स्व0 श्री रहमत खां के पुत्रों के नाम दर्ज हो चुके है, इसलिए आपको उक्त विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व न्यायालय में ही कार्यवाही करनी पडेगी, जिसके आधार पर उक्त कृषि भूमि आपके नाम दर्ज हो सकती है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह सम्मानीय न्यायालय में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.12.97 के आधार पर खरीद की गई साबिक खसरा न0 550/15 की 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा न0 45 रकबा 0.36 हेकटर है, को अपने खाते दर्ज करवाने के लिए माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती आदि की सहायताए चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 बावजूद सूचना न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कम 1 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दौराने वाद प्रतिवादी न0 5 को कई बार अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी न0 5 का जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। वादीनी की ओर से साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादीनी पेश किया गया। वादी अधिवक्ता अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इस कारण साक्ष्य वादीनी समाप्त की गई तथा पत्रावली को वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

उक्त प्रकरण मे बहस अंतिम सुनी गई, जिसमे वकील वादीनी ने वाद पत्र के किये गये कथनो को दौहराया तथा साक्ष्य में प्रस्तुत पीडब्ल्यू 1 बयान का उल्लेख किया गया व प्रदर्श किये गये दस्तावेजों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा कथन किया कि उक्त भूमि वादीनी के द्वारा खरीदशुदा है जिसमें उसे खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

मेरे द्वारा बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है तथा जवाब सरकार भी पत्रावली में नहीं है, इस कारण प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण मे वादीनी की ओर से उसके वाद पत्र को साबित करने के लिए स्वयं का साक्ष्य इस न्यायालय में पेश किया है तथा दस्तावेजों को प्रदर्श करवाया है। इसके विपरीत वादीनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन मे प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य इस पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है, यहां तक प्रतिवादीकम 1ता4 उक्त प्रकरण मे सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए है। वादीनी द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश की गई है, उससे यह न्यायालय सन्तुष्ट है, जिसकी वजह से वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम नाहरिया पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वर्तमान खसरा न0 45 की 0.36 हेक्टर कृषि भूमि जिसके साबिक खसरा न0 550/15 की 2 बीघा 5 बिस्वा रहे हैं, का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

बैंक चार्ज पृथम होने के कारण विवादित आराजी के रहन भार से मुक्त होने पर ही आदेश की पालना की जावे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। वाद व्यय वादी स्वंय वहन करे।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner